THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) No, Sir. The number of pager in the country are increasing at the rate of approximately 25,000 per month. However, the paging Services are being operated by Indian Registered companies who have been licensed to operate the service.

(b) to (d) As per terms and conditions of the licence agreement with the paging service providers, the subscribers are free to procure pagers from any source. The price of pager is not regulated by the Government.

पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में डाकघर तथा तारघर

3359. **श्री मोहिन्द्र सिंह कल्याण** : क्या संचार मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 माच्र, 1997 की स्थिति के अनुसार, पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के गांवो में जिला-वार डाकघर तथा तारघरों की संख्या कितनी हैं,

(ख) उक्त राज्यों में जिला-वार कितने गांवो में कोई डाकघर तथा तारघर नहीं हैं,

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान उक्त राज्यों में जिला-वार नए डाकघर तथा तारघर खोलने के संबंध में ब्यौरा क्या हैं और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वम्ार) : (क) और (ख) पंजाब, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दिनांक 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार डाकघर वाले और बिना डाकघर वाले गांवों की जिलावार संख्या तारघर वाले और बिना तारघर वाले गांवों की संख्या अनुपत्र में दी गई हैं।

[देखिए परिशिष्ट 180, अनुपत्र सं0 68]

उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में डाकघर वाले और बिना डाकघर वाले गांवों की जिलावाद संख्या के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ)

संसाधन उपलब्ध होने तथा मानदंडों पर आधारित औचित्य के आधार पर डाकघर उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं। इसलिए डाकघर खोलने के लिए जिलावार लक्ष्य आबंटित नहीं किए जाते। तथापि, उक्त राज्यों के लिए वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान निम्नलिखति लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

राज्यों के नाम	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
पंजाब	2	17
बिहार	5	40
राजस्थान	2	33
मध्य प्रदेश	2	37
उत्तर प्रदेश	6	70
उड़ीसा	2	37
आन्ध्र प्रदेश	2	10

दूरसंचार :

प्रत्येक गांव में तार सुविधा सुलभ कराने की विभाग की कोई नीति नहीं हैं क्योंकि यह सुविधा परियात की मात्रा की मांग और औचित्य के आधार पर सुलभ कराई जाती हैं।